दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 19 जून 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 259

महत्वपूर्ण एवं खास

टीका लेने के बाद 75-80 फीसदी तक कम होगी अस्पताल में भर्ती होने की संभावना : पॉल

नई दिल्ली (आरएनएस)। नीति आयोग के सदस्य(स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने कहा कि अध्ययनों से पता चलता है कि टीका लेने के बाद व्यक्तियों में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 75-80 फीसदी तक कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने की संभावना भी 8 फीसदी से कम हो जाती है। साथ ही टीकाकरण वाले व्यक्तियों में आईसीयू में भर्ती होने का जोखिम केवल 6 फीसदी तक रहती है। डॉ पॉल ने यह भी कहा कि कोरोना वेरिएंट आते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे और इसपर काबू पाने के लिए हमारे फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आएगा। नए वेरिएंट के आने से पहले हमें उससे बचने के लिए तैयार रहना चाहिए।

यूपी में सोने के बिस्कुट के साथ दो रोहिंग्या गिरफ्तार

अलीगढ़ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते (यूपीएटीएस) ने अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के मकदूमनगर इलाके से मोहम्मद रफीक और मोहम्मद अमीन नाम के दो रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। उनके जाली दस्तावेजों के आधार पर भारत में रहने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। एटीएस टीम ने उनके कब्जे से छह सोने के बिस्कुट, आधार कार्ड और यूएनएचसीआर कार्ड भी बरामद किए हैं। एटीएस ने नूर आलम और आमिर हुसैन नाम के व्यक्ति द्वारा दी गई गुप्त सूचना पर दोनों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पिछले सप्ताह गाजियाबाद में गिरफ्तार किया गया था। एटीएस सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अन्य रोहिंग्याओं को विभिन्न माध्यमों से देश में प्रवेश करने में मदद करने में शामिल थे।

ट्रेलर में घुसी तेजगति कार, तीन युवकों की मौत

जयपुर (आरएनएस)। भांकरोटा इलाके में अजमेर हाईवे पर बीती देर रात एक ट्रेलर में तेजगति कार जा घुसी। हादसे में कार सवार तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि चौथा साथी घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर में घुसी कार को बाहर निकलवाया। इसके बाद दोनों वाहनों को सडक़ से हटवाया। थानाधिकारी ने बताया कि हादसा रात करीब डेढ़ बजे अजमेर हाईवे पर डीपीएस स्कूल के सामने हुआ। घटनाक्रम के मुताबिक, भाजपा कार्यकर्ता पंकज निहालवानी, सुमित, बाबू खां और कीरत स्वामी कार से अजमेर की ओर से जयपुर आ रहे थे। कार की रफ्तार काफी तेज थी। तभी हाईवे पर डीपीएस स्कूल के सामने आगे चल रहे एक ट्रेलर में कार पीछे से जा घुस गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार चारों जने बूरी तरह फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में सवार चारों जनों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और गंभीरावस्था में अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने पंकज, सुमित व बाबू खां को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल कीरत को इलाज के लिए भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि लग्जरी कार में एयरबैग लगे थे, लेकिन उसके बाद भी तीनों युवकों की मौत हो गई।

उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन 28 जून से होंगे संभव

उज्जैन (आरएनएस)। देश की प्रमुख ज्योर्तिलिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर के श्रद्धालुओं केा बार फिर दर्शन हो सकेंगे। कोरोना महामारी के कारण दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक थी, 28 जून से श्रृद्धालुओं केा मंदिर में प्रवेश कर महाकाल के दर्शन का मौका मिल सकेगा। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में 28 जून से दर्शन के लिए पट खोलने का फैसला लिया गया। ऑनलाइन बुकिंग करवाने पर स्लॉट अनुसार दर्शन की अनुमति दी जायेगी। वेक्सीनेशन सर्टिफिकेट (एक डोज लगवाने पर भी) या 24 से 48 घंटे पूर्व की कोविड रिपोर्ट दिखाने पर ही मन्दिर परिसर में प्रवेश दिया जायेगा। बैठक में तय किया गया है कि महाकालेश्वर मन्दिर परिसर में सभी देवस्थान दर्शन हेतु खुले रहेंगे। शीघ्र दर्शन के काउंटर खोले जाएंगे, किन्तु शीघ्र दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को भी वेक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा कोविड जांच रिपोर्ट दिखाना होगी।

देश में दो माह बाद दो हजार से कम रही कोरोना से मौत, 24 घंटे में 62,480 नए मामले, 1,587 की मौत

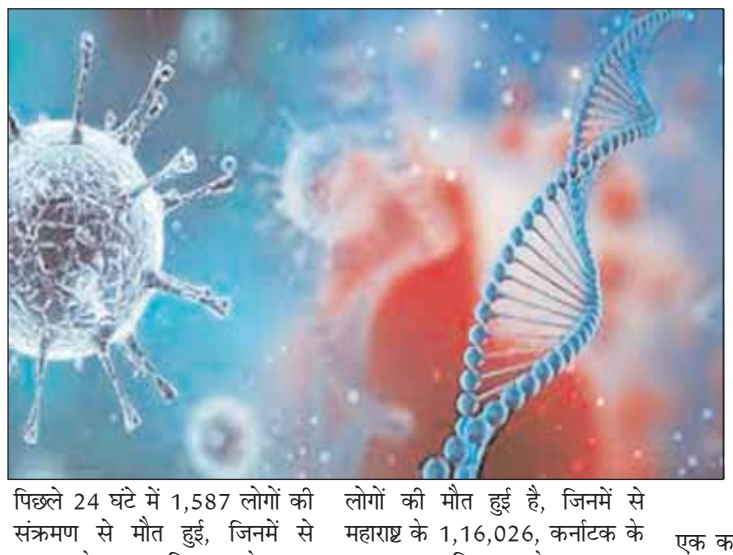

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में दैनिक संक्रमित मामलों में उतार-चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 62,480 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 1587 मरीजों ने कोरोना की जंग में हारकर दम तोड़ा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना 62,480 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,97,62,793 हुई। वहीं 58 दिन बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा दो हजार से कम आया है। इसी दौरान 1,587 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,83,490 हो गई है। जिसके बाद कोविड-19 से मत्यु दर 1.29 प्रतिशत आ गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,587 लोगों की संक्रमण से मौत हुई, जिनमें से महाराष्ट्र के 636,तमिलनाडु के 210 और कर्नाटक के 138 लोग थे। अब तक देश में संक्रमण से 3,83,490 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र के 1,16,026, कर्नाटक के 33,434, तमिलनाडु के 30,548, दिल्ली के 24,886, उत्तर प्रदेश के 22,030, पश्चिम बंगाल के 17,182, पंजाब के 15,738 और छत्तीसगढ़ के 13,361 लोग थे। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवम्बर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसम्बर को ये मामले एक करोड़ के पार और चार मई को दो करोड़ के पार चले गए थे।

❐ **सक्रीय मरीजों की संख्या तेजी से घटी-** मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 73 दिन बाद कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या आठ लाख से कम यानि 7,98,656 रह गई है। कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 2.68 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में वहीं 88,977 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद कोरोना को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 2,85,80,647 हो गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 96.03 प्रतिशत हो गई है।

❐ **संक्रमण दर में भी आई गिरावट** देश में अभी तक कुल 38,71,67,696 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 19,29,476 नमूनों की जांच बृहस्पतिवार को की गई। दैनिक संक्रमण दर 3.24 प्रतिशत है। पिछले 11 दिन से यह दर पांच प्रतिशत से कम बनी हुई है। वहीं संक्रमण की साप्ताहिक दर भी कम होकर 3.80 प्रतिशत हो गई है।

❐ **राज्यों को दी गई 27.90 करोड़ खुराकें-** स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 27.90 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 2.58 करोड़ से ज्यादा खुराकें उपलब्ध है।

❐ **22 करोड़ से अधिक ने ली वैक्सीन की पहली डोज -** स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 22 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है वहीं 5 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है।

नजफगढ़ झील के पुनरूद्धार के लिए उपचारात्मक उपाय : एनजीटी

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को दिल्ली और हरियाणा के मुख्य सचिवों को नजफगढ़ झील के पुनरूद्धार के लिए उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया। यह झील पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन उसे प्रशासन से अपेक्षित तवज्जो नहीं मिल रही।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में पीठ ने झील के पुनरूद्धार के लिए उठाये गये कदमों पर नाखुशी जतायी और हरियाणा तथा दिल्ली के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिये उपस्थित रहने का निर्देश दिया। अधिकरण ने कहा कि मुख्य सचिव संबंधित पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करके पेश करें कि क्या उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 277 (सार्वजनिक झरने या जलाशय का पानी दूषित करना) के तहत आपराधिक मामला बनता है। अधिकरण ने मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे पुलिस के संबंधित अधिकारियों को भी अगली सुनवाई के दिन एनजीटी के समक्ष उपस्थित रहने को कहें। पीठ ने कहा कि हमने मामले पर गौर किया है और पाया है कि जलाशय के पुनरूद्धार का मुद्दा पर्यावरण के लिए अहम सवाल है लेकिन इसे वो तवज्जो नहीं दी गयी जिसकी प्रशासन से अपेक्षा थी। पीठ ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कभी पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) नहीं बनायी और न ही उसने ऐसा नहीं करने पर कोई जवाब दिया है। दिल्ली सरकार ने ईएमपी का मसौदा तैयार किया है लेकिन ईएमपी पूरी होने के बाद ही इसका लागू किया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी।

यूएपीए को सीमित करने का हो सकता है देशव्यापी असर : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए को इस तरह से सीमित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके पूरे भारत पर असर हो सकते हैं। इसी के साथ न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि तीन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के फैसलों को देश में अदालतें मिसाल के तौर पर दूसरे मामलों में ऐसी ही राहत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगी।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि

हमारी 'परेशानी' यह है कि उच्च न्यायालय ने जमानत के फैसले में पूरे यूएपीए पर चर्चा करते हुए ही 100 पृष्ठ लिखे हैं और शीर्ष अदालत को इसकी व्याख्या करनी होगी। शीर्ष अदालत तीन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय के 15 जून के फैसलों को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की अपीलों पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गयी है। न्यायालय ने इन अपील पर जेएनयू छात्र नताशा नरवाल और देवांगना कालिता और जामिया छात्र आसिफ इकबाल तनहा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगे हैं। तीनों आरोपियों को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के फैसलों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि किसी भी अदालत में कोई भी पक्ष इन फैसलों को मिसाल के तौर पर पेश नहीं करेगा। पीठ ने कहा, ''यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी (नरवाल, कालिता और तनहा) को जमानत पर रिहा करने पर इस वक्त हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने तीन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देते हुए पूरे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) को पलट दिया है। इस पर गौर करते हुए पीठ ने कहा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है औ इसके पूरे भारत में असर हो सकते हैं। हम नोटिस जारी करना और दूसरे पक्ष को सुनना चाहेंगे। जिस तरीके से कानून की व्याख्या की गई है उस पर संभवत- उच्चतम न्यायालय

पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए शुरू किए छह क्रैश कोर्स

» 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों से प्रशिक्षण से बढ़ेंगे रोजगार के नए अवसर

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों से कोविड-19 हेल्थकेयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रोग्राम के तहत देशभर के एक लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को कौशल से लैस किया जाएगा और नई चीजें सिखाई जाएंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई थी।

इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से कहा कि हर सावधानी के साथ, आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों

को और बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में करीब एक लाख फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरु हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कोर्स दो से तीन महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, उम्मीदवारों को निःशुल्क ट्रेनिंग, स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट, भोजन व आवास सुविधा, काम पर प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड और प्रमाणित उम्मीदवारों को दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्राप्त होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस महामारी ने दुनिया के हर देश, हर संस्था, हर समाज, हर परिवार, हर इंसान के सामर्थ्य को बार-बार परखा है। वहीं इस महामारी ने साइंस, सरकार, समाज, संस्था और व्यक्ति के रूप में हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए सतर्क भी किया है

रोजगार का भी मिलेगा मौका- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा कि इस वायरस का बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोविड-19 हेल्थकेयर फ्रंटलाइन वर्कर्स का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद उम्मीदवार डीएससी/एसएसडीएम की व्यवस्था के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों में काम कर सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 हेल्थकेयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को पीएमकेवीवाई-3.0 के केंद्रीय घटक के अंतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया है और इसके लिए 273 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन भी किया गया है।

भाजपा का विश्वास सेवा में : जेपी नड्डा

» विपक्ष कर रहा है स्वार्थ की राजनीति

नई दिल्ली (आरएनएस)। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष कितने विनम्र और युवाओं को सेवा मार्ग पर अग्रसर करने में रूचि होना यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से सीखना चाहिए। जिस समय अनेक मंत्री तथा नेता कुछ क्षण मिलने हेतु प्रतीक्षा कर रहे थे उसी समय नड्डा ने उत्तराखंड के युवाओं कु शाम्भवी और ऋत्विक द्वारा पूर्व सांसद तरुण विजय के मार्गदर्शन में एकत्र सौ ऑक्सीजन कंसन्ट्रेट की समापन कड़ी को लिए समय निकाला। उन्होंने इस प्रयास की भूरि भूरि प्रशंसा की।

यह ऑक्सीजन कंसन्ट्रेट कायकता कु. शाम्भवा द्वारा विभिन्न स्रोतों (सिंगापुर, वास्को मैट्रोलो कंपनी आदि) से एकत्र किये। इन कंसन्ट्रेट को नड्डा के हाथों संघ प्रेरित सेवा भारती संगठन को दिया गया जिनके अध्यक्ष रमेश अग्रवाल (अग्रवाल मूवर पैकर) तथा महामंत्री रामकुमार इस दुर्लभ अवसर पर उपस्थित थे। नड्डा जी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता सेवा में विश्वास करते हैं। हम सेवा करते हैं, विपक्ष सिर्फ हताशा और आरोपों की राजनीति करता है। भाजपा कार्यकर्ताओं को सिनिश्चित करना चाहिए कि सभी को वैक्सीन लगे, वैक्सीन के बारे में झूठी अफवाहें खत्म हों तथा विशेषरूप से दिव्यांग लोगों को वैक्सीन लगवाने में सहायता की जाये।

पीजी मेडिकल कोर्स की परीक्षाएं स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी को पीजी मेडिकल एग्जाम स्थगित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता डॉक्टरों ने गुहार लगाई थी कि कोविड के कारण वह इमरजेंसी ड्यूटी में हैं ऐसे में एग्जाम या तो कैंसल किया जाए या स्थगित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वह इस तरह का जनरल ऑर्डर पास नहीं कर सकते कि देश भर के तमाम यूनिवर्सिटी पीजी मेडिकल कोर्स का फाइनल एग्जाम कैंसल कर दे या स्थगित कर दे। नैशनल मेडिकल काउंसिल ने पहले ही अप्रैल में

एडवाइजरी जारी कर देश भर की यूनिवर्सिटी से कहा हुआ है कि वह जब भी वह एग्जाम की तारीख तय करे तो कोविड की स्थिति पर विचार कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश भर की यूनिवर्सिटी को एग्जाम डेट तय करना है और इसके लिए कोर्ट से जनरल ऑर्डर जारी नहीं हो सकता है। इस मामले में देश भर की यूनिवर्सिटी पक्षकार भी नहीं हैं। हम देश भर के 100 यूनिवर्सिटी के लिए जनरल ऑर्डर नहीं दे सकते। जहां रिलीफ संभव है वहां हमने दिया है। हमने आईएनआई सीईटी एग्जाम स्थगित करने का आदेश दिया था क्योंकि हमने देखा था कि जो डेट तय किया गया था उसका जस्टिफिकेशन नहीं था। लेकिन यहां हम रिलीफ नहीं दे सकते।

सीनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर के तौर पर प्रोमोट करने की मांग- सुप्रीम कोर्ट में 29 डॉक्टरों की ओर से पेश संजय हेगड़े ने दलील दी कि ये स्टूडेंट पीजी मेडिकल कोर्स में हैं और फ्रंट लाइन वर्कर भी हैं। ये कोविड में इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा की तैयारी अनफेयर बात है। ये अति विशेष परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। बेंच ने कहा कि पीजी मेडिकल स्टूडेंट कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और कोविड ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम स्थगित करने का आदेश कोर्ट नहीं दे सकता है। अभी तक यूनिवर्सिटी ने एग्जाम का डेट तक तय नहीं किया है। संजय हेगड़े ने कहा कि इन डॉक्टरों को बिना एग्जाम के सीनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर के तौर पर प्रोमोट किया जाना चाहिए लेकिन बेंच ने कहा कि बिना एग्जाम के प्रोमोट करने का आदेश नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल- सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि कैसे मरीजों को उन डॉक्टरों के हवाले किया जाए जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में पीजी मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों की ओर से गुहार लगाई गई है कि उनके तीन साल के कोर्स के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उन्हें प्रोमोट कर दिया जाए और कोविड के मद्देनजर एग्जाम से छूट दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नीतिगत फैसला है इसमें कोर्ट कैसे दखल दे सकती है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को कहा था कि कोर्ट इस पर आदेश जारी नहीं कर सकती कि एग्जाम से छूट दे दी जाए क्योंकि ये एजुकेशन नीति से संबंधित मामला है। साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा था कि इन डॉक्टरों को मरीज का इलाज करना होगा और कैसे मरीजों को उनके हवाले किया जाए जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया हो।